राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4837/2022

डॉ. अशोक सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार कसाना, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर से सीएचसी, समराऊ, जोधपुर में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 09.06.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन जिला चिकित्सालय, भीलवाडा में किया गया। इसके तीन माह पश्चात् आदेश दिनांक 29.09.2021 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर में किया गया। उनका तर्क है कि लगभग 11 माह तक अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहा। उसके पश्चात् अब आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी, समराऊ, जोधपुर में अल्पावधि में बिना किसी प्रशासनिक

आवश्यकता के दुर्भावनापूर्वक कर दिया गया है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 को अपास्त किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
5. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि आलोच्य आदेश नियम एवं विधि के विरूद्ध दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया हो। स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है एवं स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जनहित में पारित किया गया है एवं अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। ऐसी स्थिति में अधिकरण स्तर से स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील बलहीन और सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, जिसे मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R